पत्रांक :–03/PM-USHA-SNA SPARSH-20/2024......296/क्रमांक....../

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

जार्ज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक ......08/01/2025....../

**विषय:–** प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के Project Approval Board (PAB) की प्रथम बैठक में अवयव 1– Multi-disciplinary Education and Research Universities (MERU) के अंतर्गत स्वीकृत योजना विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग हेतु रू0 99,56,10,604/– (निनानबे करोड़ छप्पन लाख दस हजार छः सौ चार रुपये मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश– स्वीकृत ।

राज्य में उच्च शिक्षा के सर्वांगीण विकास एवं गुणात्मक शिक्षा हेतु केन्द्र प्रायोजित योजना"राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान" संचालित है। इस योजना द्वारा राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में Access, Equity & Quality प्राप्त किया जाना है। वर्तमान में झारखण्ड का सकल नामांकन अनुपात 18.6 है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 28.4 है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को बहुविषयक (Multi-disciplinary) के रूप में विकसित किया जाना है तथा सकल नामांकन अनुपात (GER) को वर्ष 2035 तक 50 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

2. भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में अपनाए गए सतत् विकास एजेंडा Sustainable Development Goal से 2030 के लक्ष्य 4 (SDG 4) में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा के अनुसार वर्ष 2030 तक सभी के लिए समवेशी और समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य है। उक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 2020 की अवधारणा की गई है।

3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 2020 के आलोक में उच्च शिक्षण संस्थानों में Access, Equity एवं Quality सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केन्द्र प्रायोजित योजना, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के आगामी चरण को प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के नाम से जून 2023 में प्रारम्भ किया गया है। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के झारखण्ड राज्य में क्रियान्वयन हेतु शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के साथ राज्य सरकार ने 22.08.2023 को एकरारनामा किया है।

4. इस योजना द्वारा विभिन्न अवयवों (Components) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा Project Approval Board (PAB) के माध्यम से योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) के अवयव 1 – Multi-disciplinary Education and Research Universities (MERU) के अंतर्गत विद्यामान राजकीय विश्वविद्यालयों को बहुविषयक एवं अनुसंधान के क्षेत्र में स्थापित किया जाना है। इसी क्रम में दिनांक 17–18 जनवरी, 2024 को आहूत Project Approval Board (PAB) के प्रथम बैठक में (MERU) के अंतर्गत विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग हेतु रू0 99,78,50,000/– (निनानबे करोड़ अठत्तर लाख पचास हजार रुपये मात्र) की योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है। MERU का मुख्य उद्देश्य निम्नवत है:–

(i) MERU aims to attain the highest global standards in quality education.
(ii) Each MERU shall promote Multi-disciplinary Education by integrating humanities and arts with commerce, science, technology, engineering and mathematics.
(iii) It will focus on Flexibility of learning with Imaginative and flexible curricular structures that shall be developed offering multiple entry and exit points.
(iv) It will focus on Enhanced institutional capacity.
(v) It will focus on Research and innovation by setting up startup incubation centres; technology development centres; centres in frontier areas of research; and interdisciplinary research including humanities and social sciences

MERU के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए झारखण्ड राज्य में शोध कार्यो को बढ़ावा देने के लिए विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग में Center of Excellence on Cyber Security, Center of Excellence in Remote Sensing and GIS, Center of Excellence on Social Science and Center of Excellence on Applied Science की स्थापना की जायेगी। जिसमें राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के सभी संस्थान इसका लाभ उठा सकेंगे।

5. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अन्तर्गत प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) के के तहत विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग को Multi-disciplinary Education and Research Universities (MERU) हेतु स्वीकृत राशि का व्यय केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के 60:40 की हिस्सेदारी से की जायेगी।

6. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची के पत्रांक 2139(नि0) दिनांक 30.08.2024 के द्वारा Estimate No.- 616/T.A/H.E/JSBCCL/2024-25, Page- 271 dated 30.08.2024 से विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग को Multi-disciplinary Education and Research Universities (MERU) के रूप में विकसित करने हेतु Construction of Advance Research and Development-Cum-Incubation Centre with Furniture, Equipments तथा Soft Component के लिए रू0 99,56,10,604/– (निनानबे करोड़ छप्पन लाख दस हजार छः सौ चार रुपये मात्र) के डी0 पी0 आर0 (DPR) पर तकनीकी अनुमोदन प्रदान किया गया है।

7. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत स्वीकृत राशि का व्यय केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के 60:40 की हिस्सेदारी से की जायेगी। इस निमित वित्तीय वर्ष 2024–25 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) के अंतर्गत केन्द्रांश मद में रू0 50.00 करोड़ एवं राज्यांश मद में रू0 34.00 करोड़ अर्थात कुल रू0 84.00 करोड़ का बजटीय उपबंध है।

8. अतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के आलोक में विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग को Multi-disciplinary Education and Research Universities (MERU) के रूप में विकसित करने हेतु Construction of Advance Research and Development-Cum-Incubation Centre with Furniture, Equipments तथा Soft Component के लिए रू0 99,56,10,604/– (निनानबे करोड़ छप्पन लाख दस हजार छः सौ चार रुपये मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नवत् प्रदान किया जाता है :–

| क्र0 | अवयव के नाम | राशि (रु0) |
|---|---|---|
| 1 | Main Building (G+4) [Advance Research and Development-Cum-Incubation Centre with Furniture] | 54,30,18,050.00 |
| A | Total Cost of Infrastructure | 54,30,18,050.00 |
| 2 | Equipments | |
| i | Equipment for Center of Excellence on Cyber Security | 13,83,83,555.40 |
| ii | Equipment for Center of Excellence on RS & GIS | 4,18,22,000.00 |
| iii | Equipment for Center of Excellence on Social Sciences & Applied science | 23,76,89,703.00 |
| B | Total cost of Equipment's | 41,78,95,258.40 |
| 3 | Soft Components | |
| i | Training on Cyber Security, Ethical Hacking, Remote Sensing, GIS and Virtual Tourism | 90,00,000.00 |
| ii | Certificate Courses in Social Science, Cyber Security and Bio-Informatics | 50,00,000.00 |
| iii | Short Term Training Programme in Social Science, Cyber Security and Bio-Informatics | 50,00,000.00 |
| iv | Training on Cyber Security to Student pursuing PG and Diploma | 56,97,296.00 |
| v | Training and Expert Lectures on Research Methodologies | 50,00,000.00 |
| vi | Seminar, Conference, symposium, Workshop on Exchange of knowledge/ showcasing of collaboration with Industries and other stakeholder, showcasing of Innovations | 50,00,000.00 |
| C | Total Cost in Soft Components | 3,46,97,296.00 |
| | Grand Total [A+B+C] (Including Labour Cess, JSBCCL Operational Grant etc.) | 99,56,10,604.00 |

9. विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग को Multi-disciplinary Education and Research Universities (MERU) के रूप में विकसित करने हेतु Infrastructure (Main Building G+4) का निर्माण कार्य का क्रियान्वयन PWD Code के आलोक में झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची द्वारा किया जायेगा तथा Equipments एवं Soft Component से संबंधित कार्यों का कियान्वयन विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा। साथ ही Centre of Excellence on Social Science के अंतर्गत Immersive Center की स्थापना एवं क्रियान्वयन हेतु विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग द्वारा IIT(ISM) Dhanbad अंतर्गत संचालित Section 8 Company TexMin (Technology Innovation in Exploration & Mining) Foundation के सहयोग से किया जायेगा।

10. उक्त विषयांकित योजना का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण, झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् से किया जायेगा। उक्त योजना में स्वीकृत राशि का व्यय PM-USHA के मार्गदर्शिका एवं SoP (Standard Operating Procedure), भारत सरकार, राज्य सरकार तथा JSHEC के निर्देशानुसार किया जायेगा।

11. निर्माण कार्य पूर्ण करने की अवधि कार्यानुमति की तिथि से 24 माह होगी तथा कार्य पूर्ण करने के पश्चात एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय के द्वारा हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जायेगी। विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग को Multi-disciplinary Education and Research Universities (MERU) अंतर्गत निर्माण कार्य, उपस्करों का क्रय एवं Soft Component का कियान्वयन हेतु विभागीय बजटीय उपबंध के आलोक में वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निम्नवत् होगा–

| क्रमांक | वित्तीय वर्ष | वित्तीय लक्ष्य | भौतिक लक्ष्य |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024–25 | 5,00,00,000/– | 5 प्रतिशत |
| 2 | 2025–26 | 50,00,00,000/– | 50 प्रतिशत |
| 3 | 2026–27 | 44,56,10,604/– | 45 प्रतिशत |

12. केन्द्रांश एवं समानुपातिक राज्यांश के रूप में विमुक्त राशि का विकलन SNA-SPARSH प्रणाली के तहत केन्द्र प्रायोजित स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष –

(क) मुख्यशीर्ष–2202 सामान्य शिक्षा, 03–विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष–102–विश्वविद्यालयों को सहायता, उप शीर्ष–79– केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान– (केन्द्रांश 60 : राज्यांश 40), विस्तृत शीर्ष–06 अनुदान,78–पूँजी परिसम्पति के सृजन हेतु अनुदान

(ख) मुख्यशीर्ष–2202 सामान्य शिक्षा, 03– विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–79– केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान– (केन्द्रांश 60 : राज्यांश 40), विस्तृत शीर्ष–06 अनुदान,78–पूँजी परिसम्पति के सृजन हेतु अनुदान एवं

(ग) मुख्यशीर्ष–2202 सामान्य शिक्षा, 03– विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष–796– जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष–79– केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान– (केन्द्रांश 60 : राज्यांश 40), विस्तृत शीर्ष–06 अनुदान,78–पूँजी परिसम्पति के सृजन हेतु अनुदान मद से किया जायेगा।

13. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची द्वारा उक्त कार्य का कियान्वयन PWD Code एवं JSOR Standard Operating Procedure, 2020 के आलोक में नियमानुसार किया जायेगा। Furniture के Specification का निर्धारण झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची द्वारा विश्वविद्यालय की सहमति से नियमानुसार किया जायेगा।

14. स्वीकृत राशि की निकासी SNA SPARSH प्रणाली के अंतर्गत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (DRNSCT001) एवं अवर सचिव, उच्च शिक्षा निदेशालय, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (DRNEDN046) होंगे, जो संबंधित State Link Scheme के Drawing account से राशि की निकासी करेंगे।

15. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची को निदेशित किया जाता है कि राशि का निकासी हेतु विपत्र (Fully Vouched Claim Bill) तैयार करने के पूर्व अपने स्तर से PWD Code के सुसंगत नियमों के आलोक में संतुष्ट होने के पश्चात् ही विभाग को समर्पित करेंगे।

16. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या–1269 दिनांक–21.09.2023 के आलोक में यह स्वीकृत्यादेश प्रदत्त शक्ति के अधीन है।

17. वित विभाग के संकल्प ज्ञापांक 759 दिनांक 20.03.2015 के अनुसार राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

18. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

19. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

20. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

21. राज्य योजना प्राधिकृत समिति के दिनांक 07.10.2024 को सम्पन्न बैठक के आलोक में योजना एवं विकास विभाग के ज्ञापांक रा0यो0प्रा0– 322/2024 दिनांक 08.10.2024 के द्वारा निम्नवत् सशर्त्त अनुशंसा प्रदान किया गया है :–

(क) प्रस्तावित योजना हेतु कार्यस्थल के अनुरूप कार्यकारी प्राक्कलन के आधार पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के उपरांत ही निविदा आमंत्रण की कार्रवाई की जाय।

(ख) प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण से संबंधित सभी अव्यवों को प्राक्कलन में शामिल कर लिया गया है, इसकी सम्यक जाँच कर पुनः सम्पुष्टि कर ली जाय ताकि भविष्य में पुनरीक्षण की स्थिति न हो।

22. राज्य योजना प्राधिकृत समिति द्वारा दिये गये परामर्श का अनुपालन झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

23. उक्त विषयांकित योजना पर दिनांक 24.12.2024 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या– 06 के रूप में स्वीकृति प्रदान किया गया है।

विश्वासभाजन,

8/1/25

(जार्ज कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–03/PM-USHA-SNA SPARSH-20/2024 296/व्यय /राँची, दिनांक– 08/01/2025

प्रतिलिपि –कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8/1/25

(जार्ज कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–03/PM-USHA-SNA SPARSH-20/2024 296/व्यय /राँची, दिनांक– 08/01/2025

प्रतिलिपि –विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक, राज्य परियोजना निदेशालय, रूसा/ कुलसचिव, विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग /अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (उच्च शिक्षा)/ अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची/लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8/1/25

(जार्ज कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।